संख्याः- 5/2024/ आई/ 730318 /2024

प्रेषक,

राजमणि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः: दिनाँकः 30 अगस्त, 2024**

विषयः- जनपद-गोरखपुर में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद-गोरखपुर में पशुचिक्त्सिा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-29/2023/बी-2-663-दस-2023, दिनाँक 19.10.2023 के अनुक्रम में निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण का थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन आई0आई0टी0, बी0एच0यू0/आई0आई0टी0, कानपुर/आई0आई0टी0, रूड़की में से किसी एक के माध्यम से कराया जायेगा।

(2) अगली किस्तों की धनराशि थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में निर्माण की गुणवत्ता ठीक पाये जाने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

(3) निर्माण की स्टेजेज़ को समय से पूर्ण कराना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। टाइम रन ओवर स्वीकार्य नहीं होगा।

(5) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए, अनुश्रवण किया जायेगा। साथ ही नियोजन विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड निर्माण सम्बन्धी एवं अनुश्रवण सम्बन्धी अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग द्वारा उपरोक्त शर्तों के साथ अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा स्वस्तर से निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं संबंधित मण्डलीय अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का अनुश्रवण करते हुए समय-समय पर शासन को प्रगति के बारे में सूचित किया जायेगा।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

राजमणि,
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक उपर्युक्तानुसार</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गोरखपुर।

3- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन) लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या-212/पी0ए0/2024, दिनाँक 08.08.2024 के क्रम में।

4- पशुधन अनुभाग-2

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजमणि,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।